श्रीमान के दिनांक 19.05.2022 के आदेशानुसार मेरे द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गयी।

जाँच प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 38-36/प0 पर रक्षित है।
कृप्या अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

17.8.22

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निबंधक

File No. 4597/4/26/2021

17.08.2022

निबंधक, राज्य आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन पृ0 38–36/प0 पर रक्षित है। संचिका दिनांक 13.09.2022 को उपस्थापित करने का निदेश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 4597/4/26/2021

दिनांक : .13.09.2022

आवेदक के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा उनका रास्ता चारों ओर से बंद किये जाने और बाइपास के थाना प्रभारी से मिलीभगत कर उनका रास्ता बंद किये जाने और उन्हें प्रताड़ित किये जाने के आरोप के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

पूर्व में जिला पदाधिकारी के पत्र अंचलाधिकारी बख्तियारपुर का प्रतिवेदन (पृष्ठ 10–20/प0) प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का मकान प्रश्नगत भूमि में है जहां पर वे कभी नहीं रहते हैं उनके भाई रहते हैं साक्ष्य मांगने पर यह कहा

जाता है कि साक्ष्य उनका भैया के पास है। प्रतिवेदन में आवेदक के आरोपों को निराधार बताया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदन पर आवेदक का प्रत्युत्तर प्राप्त है। जिसके द्वारा अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर संदेह व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि सरकारी पदधिकारियों, बालू माफियों के सहयोग से कब्जा लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निबंधक एवं उप सचिव राज्य आयोग के संयुक्त समिति बनाते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। इस बीच में उप सचिव राज्य आयोग का स्थानांतरण हो जाने के कारण निबंधक राज्य आयोग के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है (पृष्ठ 36–38/प0)। जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निबंधक राज्य आयोग ने परिवादी के आवेदन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न बिन्दु गठित करते हुए अपना प्रतिवेदन दिया है।

"क्या परिवादी के मकान को असामाजिक तत्वों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है और आने जाने में रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है?"

निबंधक ने उपरोक्त जांच बिन्दु पर प्राप्त अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन का अध्ययन करते हुए, परिवादी तथा अन्य का बयान लेने अपने मंतव्य में निम्नलिखित तथ्य प्रतिवेदित किया है:–

"परिवादी द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी दक्षिण तरफ से रास्ता की मांग कर रहे है जबकि केवाला को देखने से स्पष्ट होता है कि चौहदी में दक्षिण में श्रवण कुमार मिश्रा के प्लाट का हिस्सा है जिसको संतोष कुमार श्रीवास्तव स्वीकार भी करते हैं कि श्रवण कुमार मिश्रा ने अपने तरफ का रास्ता बंद कर दिया है।

केवाला को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिम तरफ 5 फीट चौड़ा कामन रास्ता है और साक्षी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि 5 फीट रास्ता आगे से बंद नहीं किया गया है। रवि शंकर मिश्रा के गोतिया जिनके हिस्से की वह जमीन है उन्होंने इसको बंद कर दिया है। इस जमीन पर रवि शंकर मिश्रा का कोई दावा नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्यों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दक्षिण में श्रवण कुमार मिश्रा का प्लाट है और पश्चिम में 5 फीट चौड़ा कामन रास्ता है जबकि परिवादी एवं संतोष कुमार श्रीवास्तव दक्षिण के तरफ से ही रास्ते की मांग कर रहे है।

निबंधक ने अपने निष्कर्ष में यह कहा है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं राम प्रवेश राय एवं संतोष कुमार श्रीवास्तव के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दक्षिण के तरफ श्रवण कुमार मिश्रा का प्लाट है इधर से जाने की मांग परिवादी गण कर रहे है जबकि केवाला को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिम के तरफ से 5 फीट का रास्ता का उल्लेख है।

अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन (पृ0 सं0 14) में भी कहा गया है कि परिवादी द्वारा असामाजिक तत्वों और दबंगों एवं अंचल अधिकारी एवं थाना के मिली भगत से जमीन पर कब्जा कर घेर लिया गया है जो पूर्णतयाः गलत है और बकाशत मालगुजार है और वारिसानों के नाम से जमाबंदी कायम है एवं दखल कब्जे में है।

परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं कहा गया है कि किस पुलिस पदाधिकारी ने उनको धमकी दी है। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी दक्षिण के तरफ से आने–जाने के लिए रास्ते की मांग कर रहा है जबकि वह जमीन श्रवण कुमार की है जिस पर परिवादी का कोई दावा नहीं है और परिवादी को पश्चिम के तरफ से आने–जाने के लिए 5 फीट का कामन रास्ता दिया गया है जो केवाला में भी स्पष्ट रुप से वर्णित है तथा संतोष कुमार श्रीवास्तव ने अपने साक्ष्य में भी कहा है। पुलिस पदाधिकारी एवं असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी देने के आरोप पर भी परिवादी द्वारा कोई तथ्य पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदन जो आवेदक तथा अन्य पक्षों को सुनते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कें द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है।

आवेदक के लिखित आवेदन तथा प्रत्युत्तर के अलावा जाँच समिति के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतः इस आवेदन पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson